न्यायालय अपर सिविल जज (क0श्रे0)/जे0एम0 कक्ष संख्या–14, प्रयागराज।

लवकुश सोनकर बनाम राम भवन आदि।

दिनांक–09.06.2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) दं0प्र0सं0 का निस्तारण

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0 प्र0 सं0 पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आराजी सं0 488 मिनजुमला रकबा 0.1770 हे0 स्थित ग्राम तिगजा मेजा जो नवीन परती के खाते की भूमि रही और उसका पट्टा प्रार्थी के पिता बनारस पुत्र स्व0 सम्पत के हक में प्रदान किया गया। प्रार्थी के गांव के मूलचन्द्र सोनकर, राम भवन, सुरेश, रमेश सोनकर दिनांक 07.04.2022 को समय 8 बजे सुबह जबरन पट्टे वाली भूमि का जुज अंश कब्जा करने लगे। प्रार्थी के पिता द्वारा विरोध कियागया जिस पर विपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थी के पिता को मारे पीटे जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटे आयी। जिसकी शिकायत पर मेजा पुलिस द्वारा मु0 अ0 सं0 155/2022 अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 पंजीकृत हुआ। दिनांक 31.05.2022 को समय 8 बजे सुबह घ पर मौजूद रहा प्रार्थी की पत्नी मैना देवी सेहन दरवाजे की सफाई कर रही थी कि राम भवन व रमेश व सन्दीप प्रार्थी की पत्नी को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये प्रार्थी की पत्नी को लात घूसो से मारने लगे। प्रार्थी की पत्नी जान बचाकर घर के अन्दर भागी पर मुल्मिान जबरन घर के अन्दर घुस गये और जमीन पर गिराकर प्रार्थी की पत्नी को लात घूसों से मारे पीटे। प्रार्थी की पत्नी लगभग 7 माह की गर्भवती थी पेट में चोटे आने के कारण प्रार्थी अपनी पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर दवा इलाज कराया, किन्तु गम्भीर चोटे आने के कारण गर्भपात हो गया। उक्त घटना की सूचना संबंधित थाना मेजा में दिया, किन्तु मेजा पुलिस एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल कर रही है। संबंधित थाने से आख्या आहूत की गई। थाने की आख्या अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

सुना व अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत जमीनी विवाद से संबंधित है तथा प्रतिवादीगण पर मार–पीट करने, भद्दी–भद्दी गाली देने का आरोप हैं। प्रार्थी द्वारा गर्भपात के संबंध में कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने विधि दृष्टान्त **एलिक पदमसी बनाम यूनियन आफ इण्डिया ए0आई0आर0 2007** सुप्रीम कोर्ट तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **''सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008 सी0आर0एल0 पृष्ठ संख्या– 475** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुरूप मजिस्ट्रेट प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 156(3) दं0 प्र0 सं0 को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

उपरोक्त विधिदृष्टांतो से स्पष्ट है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही होती है, तो मजिस्ट्रेट यदि चाहे तो प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वंय जॉच कर सकता है। चूॅकि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी के संज्ञान मे है। अतः स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त नही है। अतः ऐसी दशा मे प्रकरण के संबंध मे पुलिस द्वारा ही विवेचना कराये जाने के स्थान पर न्यायालय द्वारा स्वंय प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जॉच किया जाना ज्यादा न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा– 200 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 12.07.2023 को पेश हो।

अपर सिविल जज क0श्रे0/जे0एम0,
कक्ष संख्या 14, प्रयागराज।